7.8.25 वादी द्वारा वाद पत्र पेश कर याचित किया गया कि चक 6 MOD खाता सं. 42 व चक 6 MOD खाता सं. 102 में वादी का नाम गुरतेज सिंह पुत्र दान सिंह अंकित है जबकि वादी का सही नाम तेजा सिंह पुत्र दान सिंह है इसलिए नाम दुरुस्ती किये जाने का निवेदन किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसील पत्रांक LR/2605 दिनांक 16/7/25 द्वारा मौका Report प्राप्त की गई जिसमें संलग्न दैनिक डायरी की प्रति में पूछताछ के आधार पर प्रार्थी का नाम तेजा सिंह होने का अंकन किया गया है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका Report व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड राशन कार्ड व पैन कार्ड आदि द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। लिहाजा वाद पत्र स्वीकार कर घोषणा की जाती है कि चक 6 MOD खाता सं. 42 व 102 में वादी खातेदार गुरतेज सिंह की जगह तेजासिंह अंकित कर नाम दुरुस्ती की जावे। तहसीलदार हनुमानगढ़ आदेश की पालना करावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।

(signature)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़